



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 8, 1995/फाल्गुन 17, 1916
No. 39] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 8, 1995/PHALGUNA 17, 1916

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)
संकल्प

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1995

सं. 21(19)/93-भो.से.—भारत सरकार ने भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देने के बकाया मामलों की जांच करने और पीछे निपटान के मामले में सलाह देने के लिए संकल्प सं० 21(19)/93-रसा. I दिनांक 11 जनवरी, 1994 द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एन.एम. कासलीवाल के अधीन एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है।

उक्त उच्च स्तरीय समन्वय समिति का कार्यकाल 31-3-1995 तक बढ़ाया जाता है और यह समिति बढ़ायी गयी समायावधि में सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

विनोद वैश, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**(Department of Chemicals and Petrochemicals)****RESOLUTION**

New Delhi, the 28th February, 1995

No. 21|19|93-B. Cell.—The Government of India has set up a High Level Committee under Justice N. M. Kasliwal, Retired Judge of the Supreme Court of India vide Resolution No. 21|19|93-CH.I dated the 11th January, 1994 to look into and advise in the matter of expeditious disposal of pending cases of disbursement of compensation to the victims of Bhopal Gas Leak Disaster.

The period of the said High Level Coordination Committee is extended upto 31-5-1995 and the Committee will submit its recommendations to the Government within the extended period of time.

VINOD VAISH, Jt. Secy.